



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 29.03.2025

दो माह के अन्दर 14वें हिस्ट्रीशीटर को सजा (आजीवन कारावास) ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.06.2018 को अफजाल पुत्र श्री शौकत हुसैन निवासी निवासी मौ0 पहाडी दरवाजा नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर नहतौर पीर की चुंगी स्थित वैस्टर्न यूनियन कार्यालय पर बाइक से जा रहा था, जिसकी तीन अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी तथा 6,00,000 रुपये लूट लिये । इस सम्बंध में थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 244/18 धारा 394/302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्तगण 1.मौ0 आरिफ उर्फ बकरी पुत्र मौ0 हनीफ निवासी मौ0 बैरमनगर कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर 2.ओमकार पुत्र दयाराम निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर 3.मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

शासन की मंशा के अनुरूप अभियुक्तों को अधिकतम सजा से दण्डित कराये जाने के क्रम में बिजनौर पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग सैल एवं अभियोजन के सहयोग से मा0 न्यायालय में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की जा रही है । जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नगीना), जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को हत्या व लूट के अभियोग में **आजीवन कारावास व ₹ 1,00,000 /- का अर्थदण्ड** एवं आयुध अधिनियम में **01 वर्ष का कारावास व ₹ 5,000 /-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला थाना मंडावर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो पर हत्या, लूट, चोरी, गैंगस्टर एकट जैसी गंभीर धाराओं में करीब ढाई दर्जन अभियोग पंजीकृत है ।

माह फरवरी – 2025 से अब तक 09 अभियोगों में 14 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को दण्डित कराया जा चुका है ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता –

मनोज उर्फ नेवला पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना मंडावर जनपद बिजनौर

अभियुक्त मनोज उर्फ नेवला का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1509/05 धारा 398,401 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 1510/05 धारा 25 आयुध एकट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 981/06 धारा 356 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 57/07 धारा 25 आयुध एकट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 288/07 धारा 4/25 आयुध एकट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 976/08 धारा 392/411 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 1053/08 धारा 392,411 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

8. मु0अ0सं0 1054/08 धारा 25 आयुध एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 188/11 धारा 356 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 237/11 धारा 379/411 भादवि थाना हीमपुर जनपद बिजनौर
11. मु0अ0सं0 88/11 धारा 356 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
12. मु0अ0सं0 261/12 धारा 389/411 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
13. मु0अ0सं0 305/12 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
14. मु0अ0सं0 288/12 धारा 25 आयुध एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
15. मु0अ0सं0 261/12 धारा 392,411 भादवि थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
16. मु0अ0सं0 25/14 धारा 323,504,302 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
17. मु0अ0सं0 48/16 धारा 302,201,120 बी भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर
18. मु0अ0सं0 346/16 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नहतौर जनपद बिजनौर
19. मु0अ0सं0 227/19 धारा 392,411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
20. मु0अ0सं0 264/19 धारा 3/25 आयुध एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
21. मु0अ0सं0 363/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
22. मु0अ0सं0 549/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
23. मु0अ0सं0 46/19 धारा 392,411 भादवि थाना नांगल जनपद बिजनौर
24. मु0अ0सं0 141/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
25. मु0अ0सं0 142/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
26. मु0अ0सं0 204/19 धारा 392,411,420 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
27. मु0अ0सं0 282/19 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
28. मु0अ0सं0 51/25 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
29. मु0अ0सं0 27/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
30. मु0अ0सं0 35/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बिजनौर पुलिस समाज में सुरक्षा, शांति एवं सुशासन की स्थापना के लिए कृतसंकल्पित है।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 29.03.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 03.04.2019 को थाना चांदपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजन शर्मा पुत्र सुमित शर्मा निवासी धनौरा रोड कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 450 नशीली प्रतिबंधित गोलियो सहित गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 247/19 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-IV चांदपुर द्वारा मु0अ0सं0 247/19 धारा 21/22 एनडीपीएस के आरोपी अभियुक्त राजन शर्मा पुत्र सुमित शर्मा निवासी धनौरा रोड कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावासा से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- राजन शर्मा पुत्र सुमित शर्मा निवासी धनौरा रोड कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 29.03.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/324 भादवि के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि वादी श्री मनोज कुमार पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम बैरमनगर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि वादी की शाली का अपने पति अरविन्द पुत्र भगवंत सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर से किसी बात को लेकर हुये विवाद में दिनांक 21.03.2020 को अरविन्द उपरोक्त ने अपनी पत्नी (वादी की शाली) पर गाली गलौज करत हुये जान से मारने की नियत से गले पर ब्लेड से वार कर उसको घायल कर दिया । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 87/20 धारा 323/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-एफटीसी-॥ बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 87/20 धारा 323/324 भादवि के आरोपी अभियुक्त अरविन्द पुत्र भगवंत सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

नोट:- धारा 307 भादवि को धारा 324 भादवि में परिवर्तित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- अरविन्द पुत्र भगवंत सिंह निवासी ग्राम हरगनपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना अफजलगढ

दिनांक 29.03.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 79/25 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 16.03.2025 को वादी ने अभियुक्त जुनैद पुत्र खलील निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहलाफुसलाकर ले जाने के संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 79/25 धारा 137(2) बीएनएस बनाम जुनैद उपरोक्त पंजीकृत कराया गया ।



कार्यवाही -

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 79/25 से संबंधित वांछित अभियुक्त जुनैद पुत्र खलील निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 26.03.2025 को स्थानीय पुलिस द्वारा वादी की पुत्री को बरामद किया जा चुका है । विवेचनात्मक कार्यवाही मे अभियोग में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

जुनैद पुत्र खलील निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1-उ0नि0 हरवीर सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2-आरक्षी देवकरण थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 29.03.2025

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चोरी की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.03.2025 को वादी डॉ० रिहान पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के क्लीनिक का ताला तोड़कर उसमें रखा बैटरी व 5000/- ₹ की नकदी चोरी करने के संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 151/2025 धारा 331(3)/305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 11.01.2025 को वादी इलम सिंह पुत्र ईशरी सिंह नि० ग्राम मुठाल परगना बास्टा तहसील चाँदपुर हाल निवासी श्रीराम कालौनी मौ० चिम्मन कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की हीरो स्पलेन्डर प्लस नं० UP20AN8495 तहसील परिसर के बरामदे से चोरी करने के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 12/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोगों में अभियुक्त जिशान पुत्र हिफजुर्रहमान नि० मौहल्ला बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभियुक्त जिशान पुत्र हिफजुर्रहमान नि० मौहल्ला बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को बिना नम्बर की मो०सा० होण्डा शार्इन जिसका चेसिस नं० ME4JC36PME7090346 व इंजन नं० JC36E-73873568 व 01 बैटरी सहित के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने यह बैटरी दिनांक 21.03.2025 को स्याऊ मस्जिद के पास से डाक्टर की दुकान से चोरी किया था तथा अभियुक्त की निशादेही पर पुरानी मण्डी के खण्डर से मोटरसाइकिल न० UP20AN8495 स्पेलेन्डर (इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 12/2025 धारा 303(2) बीएनएस



पंजीकृत है) बरामद की गयी । बिना नम्बर मोटरसाइकिल के प्रपत्र न दिखाने पर उक्त मोटरसाइकिल को 207 एमवी एक्ट मे सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जिशान पुत्र हिफजुर्रहमान नि0 मौहल्ला बन्दुकचियान कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

चोरी किया गया एक बैट्टा व एक मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर न0 UP20AN8495

आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0स0 230/18 धारा 323/504/506 थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0स0 12/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0स0 151/25 धारा 305(ए)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना चादपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 जुगेन्द्र तेवतिया थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 494 विपिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2341 मौ0 सिराज थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 865 धन सिंह मलिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक 29.03.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0स0 90/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.03.2025 को वादी रईस अहमद पुत्र जमीर अहमद निवासी मौ0 बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ़ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. शादाब पुत्र रफीक अहमद 2. रफीक अहमद पुत्र नामालूम 3. नदीम पुत्र शकील 4. शकील पुत्र नामालूम निवासीगण मौहल्ला बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र आशू के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से उसके ऊपर चाकू से वार किए । तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0स0 90/25 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र शकील नि0 मौ0 बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र शकील नि0 मौ0 बेगम सराय कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.का0 2502 विशाल थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 29.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 95/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.03.2025 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1. तुराब जाफरी पुत्र हाजी अनवार हुसैन नि0 ग्राम नया गाँव मिर्जापुर सैद थाना मण्डावली जनपद बिजनौर के द्वारा वादिया के साथ शादी का झासा देकर गलत कार्य किया व अभियुक्त तुराब जाफरी के मामा अस्गरी पुत्र असगर हुसैन निवासी सलापुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को जान से मारने की धमकी दी गयी । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 95/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त तुराब जाफरी पुत्र हाजी अनवार हुसैन नि0 ग्राम नया गाँव मिर्जापुर सैद थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तुराब जाफरी पुत्र हाजी अनवार हुसैन नि0 ग्राम नया गाँव मिर्जापुर सैद थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.म0उ0नि0 पायल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.म0का0 211 सीमा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.हे0का0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 29.03.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 95/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस से संबंधित 03 अभियुक्तों को चोरी किए गए सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28.03.2025 को वादी महबूब अहमद पुत्र विलायत हुसैन नि0 मौहल्ला रम्पुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि मोहित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम चौगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व वकील अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0 मौहल्ला



किला साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर वादी की सेनेट्री की दुकान पर नौकरी करते है । दिनांक 23.05.2025 को मोहित , वकील उपरोक्त रिक्शा चालक अतुल पुत्र चेताराम निवासी मौहल्ला रवापुरी सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर के साथ मिलकर वादी के गोदाम से चोरी कर रहे थे जिनको वादी द्वारा मौके पर ही चोरी किए गए सामान 13 डिब्बे फ्लोर डाईलस साईज 2/4 व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा UK08ER8311 सहित पकड लिया गया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0स0 95/2025 धारा 69/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1. मोहित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम चौगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर 2.वकील अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0 मौहल्ला किला साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 3.अतुल पुत्र चेताराम निवासी मौहल्ला रवापुरी सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को को चोरी किए सामान 13 डिब्बे फ्लोर डाईलस साईज 2/4 व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा UK08ER8311 सहित गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मोहित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम चौगावा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.वकील अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0 मौहल्ला किला साहनपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.अतुल पुत्र चेताराम निवासी मौहल्ला रवापुरी सहानपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी-

13 डिब्बे फ्लोर डाईलस साईज 2/4 व घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा UK08ER8311